



2026:AHC:178467

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8435 सन् 2026

इमराना खातून एवं अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) की ओर से अधिवक्ता : कल्प देव मिश्रा, रोहित कुमार पटेल

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 199 सन् 2019, धारा 8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, थाना फफूंद, जनपद औरैया में, उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है, क्योंकि आवेदकगण को उपर्युक्त मुकदमे में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. विद्वान ए.जी.ए. ने इंगित किया है कि आवेदक संख्या 2 का एक अन्य प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी इंगित किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित उस अग्रिम जमानत प्रदान करने वाले आदेश में भी, जिसके द्वारा आवेदकगण को पुलिस रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी, इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद शपथ पत्र पर यह घोषणा की गई है कि आवेदक संख्या 2 का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
4. इस आपत्ति का सामना करने पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की है कि उन्हें आवेदक संख्या 2 के संबंध में इस प्रार्थना पत्र को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए तथा नया अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. यह प्रार्थना पत्र **आवेदक संख्या 2 के संबंध में वापस लिए जाने के कारण खारिज किया जाता है।**

6. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक संख्या 2 से संबंधित प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो, जो जमानत प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल की गई है, आवेदकगण के अधिवक्ता को वापस कर दे।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया।

8. आवेदक संख्या 1 को इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 30210 सन् 2019 में आदेश दिनांक 31.07.2019 द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना बताया गया है। आदेश-पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक संख्या 1 दिनांक 04.05.2026 तक संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होती रही है। दिनांक 27.07.2026 को आवेदक संख्या 1 के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। आवेदक संख्या 1 एक महिला है तथा उसे मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था। सह-अभियुक्तगण लाडली एवं अफरीन, जिन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया था, को नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक संख्या 1 अग्रिम जमानत पर थी तथा यह नहीं बताया गया है कि उसने इस न्यायालय द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है।

9. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना समीचीन समझता हूं।

10. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

11. आवेदक संख्या 1 - **इमराना खातून** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उक्त मुकदमा अपराध में संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अविलंब अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i. आवेदक संख्या 1 पुलिस अधिकारी द्वारा जब-जब अपेक्षित हो, पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगी;

ii. आवेदक संख्या 1 मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को, उसे न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से विरत करने हेतु, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगी;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- iii. आवेदक संख्या 1 न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी;
 - iv. आवेदक संख्या 1 अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगी/उसे भयभीत नहीं करेगी;
12. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।
13. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त अवलोकन मात्र प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हैं तथा उन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत नहीं माना जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

24 अगस्त, 2026

ए. पांडेय